

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

अथवा

विपक्षी

होरालाल

क्रमा

51-52

पत्रावली संख्या

35/20

सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

29.1.25

पत्रावली पेना-डुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित हुए।

प्रकरण का मूल वाद फार्मल डिफ्री हो जाने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही ओष नहीं रहती है।

धनः प्रथम पत्र शर्त पर खरिज किया जाता है। निर्णय सेरेइजलास हुआ था अथवा प्रकरण फैतल सुनार होकर नम्र से कम हो।



(रिया डीवी)

DAS

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर